ब अदालत श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग रीवा म०प्र० ।

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(112)

R-3239-III/14

श्री .... द्वारा आज दि. 24-09-2014 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- शिव कुमार तनय श्री कुन्नेलाल कोल
2- रावेश तनय मनोहर कोल
3- भैयालाल तनय मनोहर कोल
4- रामानुज तनय बद्री कोल
5- सन्तोष तनय प्रेमलाल कोल
6- सौखीलाल तनय प्रेमलाल कोल
7- अजय तनय महावीर कोल
8- मुंशी तनय सुफल कोल
9- राजबहोर तनय राजकुमार कोल
10- बाबूलाल तनय मुन्ना कोल
11- पंवराज तनय छोटेलाल कोल
12- रामलाल तनय छोटेलाल
13- राजा तनय सुखई कोल
14- प्रमोद तनय रामपाल कोल
15- रामगरीब तनय छोटका कोल
16- रविराज तनय राजकुमार कोल
17- सुखलाल तनय कौशल कोल

------ सभी निवासी ग्राम जोड़ौरी तहसील मनगवाँ जिला रीवा म०प्र० ------- आवेदक गण ।

बनाम

यशोदा पत्नी श्री शंवठा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम छिवला तहसील मनगवाँ जिला रीवा म०प्र० ------- अनावेदिका ।

स्वमेव निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०

क्र० ---

संहिता सन् 1959 ई0 ।

आराजी नं0 731 रकबा 6-46 ए0 स्थित मौजा जोड़ौरी प0ह0 कंदैला तहसील मनगवाँ जिला - रीवा म0प्र0 ।

मान्यवर,

स्वमेव निगरानी प्रार्थना पत्र के आधार निम्न है :-

1- यहकि आराजी नं0 731 रकबा 6-46 ए0 स्थित मौजा जोड़ौरी तहसील मनगवाँ जिला रीवा है, जिसका शासकीय अभिलेख शासन म0प्र0 जिला रीवा है एवं आवास योजना हेतु सुरक्षित है ।

2- यहकि निगरानी कर्ता गण का लगभग 50 वर्ष से स्थाई निवास है, 150 आदमी माकान बनाकर निवास कर रहें हैं । आवासी आवेदक गण सभी जनजाति एवं हरिजन आदि व्यक्ति है ।

3- यहकि अनावेदिका द्वारा उक्त आराजी में बिना किसी अधिकार सन् 2013-14 मे अपना कब्जा एवं कालम नं0 3 खसरा अपना लिखा लिया है। अनावेदिका के पक्ष में कभी भी कोई राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर कोई आदेश नही दिया गया है । एवं शासकीय रिकार्ड में कभी भी किसी शासकीय रिकार्ड में अभिलिखित है कि किस राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक एवं क्रमाँक के आधार पर अनावेदिका का नाम शासकीय - अभिलेख में खसरा के कालम नं0 3 मे नाम दर्ज किया गया है ।

4- यहकि अनावेदिका द्वारा निगरानी कर्ता गण को मौखिक धमकी दी गयी कि यह जमीन उसकी है , आवेदक गण जमीन खाली करे तभी प्रार्थी गणों को उक्त जमीन के खसरा की नकल दिनांक 29-3-14 को दिया , तब पता चला कि अनावेदिका बिना किसी अधिकारी के विधिवत आदेश के बिना राजस्व अभिलेख मे अपना नाम दर्ज कर लिया है ।

5- यहकि स्वमेव निगरानी हर तरह से समायत हाजा अदालत है एवं पुराने

R-3239-III/14 रीवा (172)

23/8/16	आवेदक एवं आवेदक अभिभावक को समय समयपर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।